97

पत्रांक– 10/नि0–स्टाम्प-111/2021– 1308/

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

प्रेषक,

मनोज कुमार संजय,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

सेवा में;

रवि रंजन,
क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार,
Stock holding Corporation Of India Ltd.

पटना, दिनांक– 03.03.22

विषय : – राज्य में non-registrable दस्तावेजों में ऑनलाईन डिजीटल ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र का प्रयोग तथा इस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को ऑनलाईन के माध्यम से जमा किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0– 71 (ई–स्टाम्प शुल्क नियमावली, 2020) दिनांक– 08.01.2021 के द्वारा राज्य में ई–स्टाम्प की बिक्री हेतु केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को प्राधिकृत किया गया है। विभागीय अधिसूचना सं0–2039 एवं 2040 दिनांक– 02.05.2017 द्वारा पूर्व से ही Stock Holding Corporation of India Ltd को क्रमशः ई–स्टाम्प प्रणाली के तहत मुद्रित स्टाम्प एवं ई–स्टाम्प प्रणाली के तहत गैर न्यायिक मुद्रांक की बिक्री हेतु प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक– NESL/DDE/2021-22/**296** दिनांक– 12.04.2021 द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को पत्र दिया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि National E-Governance Services Limited(NeSL)/SHCIL के माध्यम से डिजीटल प्रणाली के तहत दस्तावेजों पर लगने वाले ई–स्टाम्प के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जाय। इस संबंध में NeSL द्वारा अपने पत्रांक– NESL/DDE/2021-22/**500** दिनांक– 01.02.2022 द्वारा विभाग को भी पत्र दिया गया है।

उक्त के आलोक में राज्य में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (CRA) के रूप में नामित Stock Holding Corporation of India Ltd के माध्यम से निम्नांकित दस्तावेजों में ऑनलाईन डिजीटल ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र का प्रयोग तथा इस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को ऑनलाईन जमा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. Agreement
2. Mortgage by Deposit of title Deed
3. General Power of Attorney
4. Indemnity Bond
5. Hypothecation
6. Mortgage
7. Deed of Further Charge

अतः अनुरोध है कि National E-Governance Services Limited पोर्टल के माध्यम से Electronic Form में निष्पादित होने वाले उक्त दस्तावेजों पर पक्षकार को Stamp Duty ऑनलाईन भुगतान किये जाने की सुविधा प्रदान की जाय तथा बिहार ई–स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

MK 26/02/22

(मनोज कुमार संजय)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।